भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-100

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय पद

†*100. **श्री विजय कुमार हॉसदाक:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्टूबर, 2024 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में स्वीकृत, भरे गए और रिक्त संकाय पदों की कुल संख्या कितनी-कितनी है;
(ख) केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय पद बड़ी संख्या में रिक्त होने के क्या कारण हैं; और
(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों सहित ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय पद के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विजय कुमार हॉसदाक द्वारा पूछे गए दिनांक 02.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 100 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान (सीएचईआई) जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) शामिल हैं, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। ये संस्थान प्रासंगिक विनियमों और उनकी संविधियों के अनुसार विशिष्ट संकाय/छात्र अनुपात का अनुपालन करते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संस्थानों के भीतर संकाय की भर्ती उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के शुरू होने तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता के विस्तार की वजह से अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। गुणवत्तापूर्ण संकायों को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय आदि को आमंत्रित करना शामिल है।

सरकार ने इन केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण प्रदान करने के लिए दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया। उक्त अधिनियम के अनुसरण में जारी दिनांक 12.7.2019 की अधिसूचना के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निदेश दिया था। केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थान अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाते हैं। सितंबर 2022 से, सीयू, आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर ने एससी, एसटी और ओबीसी और साथ ही पीडब्ल्यूडी के रिक्त पदों को

भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान भी चलाया है। दिनांक 29.10.2024 तक, सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 15,139 संकाय पदों सहित कुल 25,777 पद भरे गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और आईआईएससी बैंगलोर द्वारा समग्र रूप से कुल 25257 रिक्तियां भरी गई हैं, जिनमें से 15047 संकाय पद हैं, जिनमें 1869 एससी, 739 एसटी, 3089 ओबीसी और 254 पीडबल्यूडी शामिल हैं।

*****